रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. DL 33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 26]
No. 1]	DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938	[N.C.T.D. No. 26]

भाग—III
PART—III
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016

सं. एफ. 17(85)/इंजि./डीईआरसी/2015-16/पार्टफाइल-2/सी.एफ. 5178/156 .—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, 86 और 181 के साथ पठित धारा 50 द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक, 2007" (आगे 'मुख्य विनियम' के रूप में उल्लिखित)" का निम्नलिखित संशोधन करती है।

1.0 संक्षिप्त नाम और प्रारंभन

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, कहा जा सकेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.0 मुख्य विनियम के विनियम 23 के बाद एक नया विनियम 23A निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

"23A लाइसेन्स धारक द्वारा स्वीकृत भार/ संविदा माँग की समीक्षा"

लाइसेन्स धारक अधिकतम माँग रीडिंग के आधार पर स्वीकृत भार/ संविदा माँग की समीक्षा निम्नलिखित तरीके से करेगा:

(1) संशोधित भार की संगणना

(1) स्वीकृत भार अथवा संविदा माँग, जैसा भी मामला हो, में संशोधन के लिए लाइसेन्स धारक, उपभोक्ता के पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 1अप्रैल से 31 मार्च तक किसी भी चार लगातार महीने की बिलिंग चक्र में अंकित अधिकतम माँग रीडिंग के उच्चतम औसत को लेगा! जोकि नीचे वर्णित रूप मे पूर्णांकित किया जाएगा:

बशर्ते कि बिलिंग चक्र के लिए अवधि टैरिफ़ आदेश में विनिर्दिष्ट" अवधि से अधिक नहीं होगी ।

उदाहरण (अ) –

पिछले वित्त वर्ष स्वीकृत भार : 4 किलोवाट

एमडी रीडिंग के औसत का उच्चतम : ≥ 4 किलोवाट और < 5 किलोवाट

संशोधित स्वीकृत भार का पूर्णांकन : 4 किलोवाट

उदाहरण (ब) –

पिछले वित्त वर्ष स्वीकृत भार : 4 किलोवाट

एमडी रीडिंग के औसत का उच्चतम : ≥ 6 किलोवाट और < 7 किलोवाट

संशोधित स्वीकृत भार का पूर्णांकन : 6 किलोवाट

उदाहरण (स) –

पिछले वित्त वर्ष स्वीकृत भार : 4 किलोवाट

एमडी रीडिंग के औसत का उच्चतम : ≥ 3 किलोवाट और < 4 किलोवाट

संशोधित स्वीकृत भार का पूर्णांकन : 3 किलोवाट

(ii) स्वीकृत भार न्यूनतम 1 किलोवाट होगा ।

(2) विनियमत 23A (1) के अनुसार, संगणित संशोधित भार यदि स्वीकृत भार, या मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक है तो लाइसेंस धारक स्वीकृत भार या मांग में प्रस्तावित वृद्धि के बारे में उपभोक्ता के लिए एक अलग से नोटिस जारी करेगा। नोटिस में स्वीकृत भार,या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, क्रमांगत बिलिंग चक्र के ठीक ठीक रीडिंग के साथ प्रस्तावितबढ़ोत्तरी के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार प्रतिभूति जमा और एसएलडी प्रभार के अंतर यदि कोई हो का विवरण, होगा जिसे कि उपभोक्ता को नोटिस प्राप्तिके 30 दिनों के अंदर में जमा करना होगा। उपभोक्ता यदि ऐसा करने में विफल रहता है, तो इसके कारणों को दर्शाते हुए अतिरिक्त राशि को, अगले बिल में शामिल किया जा सकता है ।

बशर्ते कि, उपभोक्ता से सर्विस लाइन सह विकास प्रभार(एसएलडी) का केवल उन मामलों में वसूल किया जाएगा जहां लाइसेंस धारक सर्विस लाइन वास्तव में बदल रहा है।

बशर्ते प्रस्तावित भार वृद्धि के लिए एसएलडी प्रभार में अंतर अतिरिक्त एसएलडी प्रभार जो कि भार में अंतर के लिए आवश्यक होगा अर्थात प्रस्तावित बढ़ाए जाने वाले भार और वह भार जिसके लिए एसएलडी प्रभार जमा कर दिया था का अंतर होगा।

उदाहरण: - उपभोक्ता को स्वीकृत भार में वृद्धि 4 किलोवाट से 6 किलोवाट के वृद्धि के लिए अंतर एसएलडी प्रभार राशि रुपये 4000 अर्थात रुपये अर्थात् 7000 (6 किलोवाट के लिए) - रुपये 3000 (4 किलोवाट के लिए) के अंतर का भुगतान करना होगा।

यदि एक उपभोक्ता ने शुरू में 6 किलोवाट स्वीकृत भार ले लिया है और पहले से ही रुपये 7000/- की एसएलडी प्रभार राशि का भुगतान किया है और उसका स्वीकृत भार 4 किलोवाट तक कम हो जाता है । तत्पश्चात् यदि स्वीकृत भार की वृद्धि 7 किलोवाट हुई है तो अंतर एसएलडी प्रभार शून्य हो जाएगी अर्थात रुपये 7000/- (7 किलोवाट के लिए) – रुपये 7000/- (पहले से ही 6 किलोवाट के लिए भुगतान किया जा चुका है) चूंकि एसएलडी प्रभार गैर वापस हैं।

(3) स्वीकृत भार या संविदा मांग में बढोत्तरी की समीक्षा (प्रतिभूति निक्षेप जमा और अंतर एसएलडी प्रभार यदि कोई हो जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को 30 दिन की सूचना देने के बाद) को उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए लागू होगा।

(4) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में, विनियमन 23A(1) के अनुसार संगणित भार यदि उपभोक्ता के स्वीकृत भार या संविदा मांग, जैसा भी प्रकरण हो, से कम है, तो लाइसेंस धारक को, उपभोक्ता से एक अलग से नोटिस के माध्यम से उसको विवरण सहित यह जानकारी देकर कि उसकी अधिकतम मांग स्वीकृत भार या संविदा मांग से कम है भार कम करने के लिए उपभोक्ता की सहमति लेनी होगी ।

यदि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, पिछले वर्ष अंतिम बिलिंग चक्र में 5 किलोवाट तक स्वीकृत भार होने पर, नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कोई सूचना उन से प्राप्त नहीं होती है, तो के लिए, भार स्वत: से कम किया जाएगा; और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, जिनका पिछले वर्ष में 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत भार होने पर भार उपभोक्ता से सहमति प्राप्त होने पर कम हो जाएगा।

(5) भार में कमी के मामलों में, लाइसेंस धारक वित्त वर्ष के अगले बिलिंग चक्र में ही ऊर्जा बिल में समायोजन करके यथानुपात प्रतिभूति जमा वापस करेगा। प्रतिभूति जमा की वापसी ऊर्जा बिल से अधिक के मामले में, अगले ऊर्जा बिल (ओं) में लौटा दी जाएगी । हालांकि, लाइसेंस धारक के साथ निर्धारित ब्याज दर पर शेष सुरक्षा जमा पर ब्याज की राशि लाइसेंस धारक अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन करेगा।

उदाहरण: -

मान लीजिए 5 किलोवाट की प्रारंभिक स्वीकृत भार करने के लिए रुपये 150/ प्रति किलोवाट की दर से प्रतिभूति रुपये 750 जमा किया गया था। इसके बाद भार 2 किलोवाट की वृद्धि हुई थी और लागू दरों पर अतिरिक्त सुरक्षा जमा रुपये 1200 /- (रुपये 600 / प्रति किलोवाट की दर से) जमा किया गया था। इसलिए, कुल सुरक्षा जमा 7 किलोवाट स्वीकृत भार करने के लिए रुपये 1950/- रुपये है। इसके बाद अधिकतम मांग रीडिंग के आधार पर भार यदि 2 किलोवाट कम हो जाता है, तो यथानुपात

आधार पर गणना की सुरक्षा जमा की वापसी रुपये 556/ केवीA (रुपये 278 / प्रति किलोवाट की

दर से (1950 : 7=278)

(6) सर्विस लाइन सह विकास (एसएलडी) भार भार में कमी / समझौते की समाप्ति के मामले में वापस नहीं किया जाएगा।

(7) स्वीकृत भार के ऊपर या नीचे संशोधन के जैसा भी मामला हो लिए अलग से नोटिस वित्तीय वर्ष के 31st मई तक जारी किया जाएगा जा सकता है। उसके बाद बढोत्तरी हेतु संशोधन का कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

कमी के लिये संशोधन मामले में उप विनियमन (4) अनुसार यदि नोटिस 31st मई तक जारी नहीं करने की स्थिति में लाइसेंस धारक प्रभावित उपभोक्ता को रुपये 500/- के मुआवजे का भुगतान करेगा। जो कि निम्नलिखित उप विनियमन (8) के अनुसार भार कम करने के उपभोक्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

बशर्ते कि नोटिस जारी किए गए हैं का सबूत दिखाने की जिम्मेदारी लाइसेंस धारक की होगी।

(8) स्वीकृत भार, या संविदा मांग की कमी या बढोत्तरी का संशोधन जैसा भी मामला हो, एक वित्त वर्ष में एक बार ही किया जाएगा, जो वित्त वर्ष के 1st जुलाई से प्रभावी किया जाएगा।

(9) लाइसेंस धारक द्वारा विनियमन 23A(2), के अनुसार भार की बढ़ाये जाने पर भार की वृद्धि के छह महीने के बाद ही, भार के कम करने के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

महेन्द्र सिंह, सचिव

टिप्पणी :

उपरोक्त विनियमों से आयोग द्वारा पत्र सं एफ. 11 (548)/डीईआरसी/2009-10/सीएफ सं.2373/4557 उपरोक्त विनियमों से आयोग द्वारा पत्र सं एफ. 11 (548)/डीईआरसी/2009-10/सीएफ सं.2373/4557 दिनांक 01.02.2011, एफ. 7 (57) / डीईआरसी / सीए / 2011-12 / 3060 द्वारा जारी / 5005 दिनांक 22.11.2011, एफ. 7 (57) / डीईआरसी / सीए / 2011-12 / 3060/5708 दिनांक 11.01.2012 और एफ. 17 (44) /इंजी./डीईआरसी/ 2010-11/सी एफ सं: 2621 / 5897 दिनांक 20.01.2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशख स्थगित हो जाएगें। तदापि उपरोक्त आदेशों के अनुसार निपटाए गए मामलों को फिर से खोला नहीं जएगा।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 29th April, 2016

Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Third Amendment) Regulations, 2016

F. 17(85)/Engg./DERC/15-16/Part File-2/5178/156.—In exercise of the powers conferred by Section 50 o the Electricity Act 2003, read with Sections 57, 86 and 181 of the Electricity Act, the Delhi Electricity Regulator Commission hereby makes the following amendments in "Delhi Electricity Supply Code and Performance Standard Regulations, 2007" (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), as follows :

1.0 Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Thir Amendment) Regulations, 2016.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 A new Regulation 23A shall be added after Regulation 23 of the Principal Regulations as under:

"23A Review of sanctioned load/contract demand by the licensee

The Licensee shall review the sanctioned load or the contract demand as the case may be, on the basis of Maximu Demand readings in the following manner:

(1) **Computation of Revised Load.**

(i)For revision of sanctioned load or contract demand as the case may be of the consumer, the Licensee shall take the highest of average of Maximum Demand readings recorded as per billing cycle covering any four consecutive calendar months in the previous financial year i.e. from 1st April to 31st March rounded off to the lower integer as described in the illustration.

Provided that the period for billing cycle shall not exceed the period specified in the applicable Tariff Order.

Illustration (a):-

Sanctioned load in previous financial year : 4kW

Highest of Average of MD readings : ≥ 4kW and < 5 kW

Rounding off for revised sanctioned load : 4 kW

Illustration (b):-

Sanctioned load in previous financial year : 4kW

Highest of Average of MD readings : ≥ 6kW and < 7 kW

Rounding off for revised sanctioned load : 6 kW

Illustration (c):-

Sanctioned load in previous financial year :4kW

Highest of Average of MD readings :≥ 3kW and < 4 kW

Rounding off for revised sanctioned load :3 kW

(ii)The minimum sanctioned load shall be 1kW.

(2) If the computed revised load pursuant to Regulation 23A (1) exceeds the sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall issue a separate notice to the consumer about the proposed increase in sanctioned load or contract demand. The notice shall contain the details of the exact readings in the consecutive billing cycle(s) taken into consideration along with details of enhanced security deposit and the differential Service Line cum Development (SLD) charges, if any, for such increase in sanctioned load or the contract demand, as the case may be, in accordance with Electricity Act, 2003 to be deposited by the consumer within 30 days from the date of receipt of notice. If the consumer fails to do so, the additional amount may be included in the next bill, indicating the reasons for such inclusion in the bill.

Provided that differential SLD charges shall be charged from the consumers only in those cases where the service line is actually changed by the Licensee.

Provided further that Differential SLD charges for enhancement of load shall be the additional SLD required for differential load i.e. difference between the proposed enhanced load and the load for which the SLD charges has already been paid.

Illustration: – for enhancement of sanctioned load from 4kW to 6kW the consumer will have to pay a differential SLD amount of Rs.4000 i.e. Rs.7000 (corresponding to 6kW) - Rs.3000 (corresponding to 4kW).

Further, if a consumer has taken a sanctioned load of 6kW initially and have already paid a SLD of Rs.7000/- and his sanctioned load is reduced to 4kW. Subsequently, if his load is increased to 7kW then the differential SLD charged shall be NIL i.e. Rs.7000 (corresponding to 7kW) - Rs.7000 (already paid corresponding to 6kW) as the SLD charges are non-refundable.

(3) The upward revision of sanctioned load or contract demand of consumers, (after issue of notice and giving 30 days time to the consumer to deposit the enhanced security deposit and the differential SLD charges, if any) shall be applicable for all categories of consumers.

(4) In case of domestic category consumers, if the computed load pursuant to Regulation 23A (1) is less than the sanctioned load or contract demand as the case may be of the consumer, the Licensee shall seek the consent of the consumer for load reduction through a separate notice to the consumer, giving details and information that his maximum demand is less than the sanctioned load or contract demand.

Provided that for domestic category consumers, having the sanctioned load upto 5kW in the last billing cycle of previous financial year, if no communication is received from them within expiry of 30 days from the date of the receipt of notice, the load shall be reduced automatically; and for domestic consumers having sanctioned load more than 5kW in the last billing cycle of previous financial year, the load shall be reduced only on receipt of consent from the consumer.

(5) In cases of load reduction, the Licensee shall refund the pro-rata security deposit by adjusting the same in energy bill issued in next billing cycle. In case the refund of security deposit is in excess of the energy bill,

2101 DG/16-2

the security deposit shall be refunded in the next energy bill(s). However, the Licensee shall also adjust the interest accrued on the amount left with Licensee at the interest rate specified for interest on security deposit.

Illustration:-

Suppose the security deposit of Rs. 750 was deposited @ Rs. 150 /kW for initial sanctioned load of 5 kW. Subsequently, the load was increased by 2 kW and an additional security deposit of Rs 1200 @ Rs. 600/kW was deposited at the applicable rates. Therefore, the total security deposit is Rs. 1950 for a sanctioned load of 7 kW. Thereafter, in case, the load is reduced by 2 kW on the basis of Maximum Demand readings, the refund of security deposit will be Rs. 556/- @ Rs. 278/ kW (1950 7 278) calculated on pro-rata basis.

(6) Service line cum development (SLD) charges shall not be refundable in case of load reduction or termination of agreement.

(7) The separate notice for upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be issued by 31^{st} May of the financial year. No notice for upward revision shall be issued thereafter.

In case a notice for downward revision pursuant to sub Regulation (4) is not issued by 31^{st} May, the Licensee shall pay a compensation of Rs. 500 to the affected consumer, without prejudice to the right of consumer to reduce the load which shall be effective as per sub Regulation (8) below:

Provided that the responsibility of showing the proof that notices have been issued shall be of the Licensee.

(8) The upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be done once in a financial year and shall be made effective from 1^{st} July of the financial year.

(9) If the load is enhanced by the licensee pursuant to Regulation 23A (2), the request for any load reduction shall be entertained only after expiry of six months from the date of enhancement of load.

(10) MAHENDER SINGH, Secy.]

Notes:

The directions issued by the Commission vide Letters No. F.11(548)/DERC/2009-10/C.F.No.2373/4557 dated 01.02.2011, F.7(57)/DERC/CA/2011-12/3060/5005 dated 22.11.2011, F.7(57)/DERC/CA/2011-12/3060/5708 dated 11.01.2012 and F.17(44)/Engg./DERC/2010-11/CF No.2621/5897 dated 20.01.2012 stand superseded by the these Regulations. However, the cases dealt as per these aforesaid Orders shall not be reopened.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.